न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 850/2022
अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मोहनी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. लादुराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्र पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. विजेन्द्र प्रसाद पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -04/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 802/479 की कुल 3.7570 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 801/482 की 6.6180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 802/479 की 3.7570 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 3/7–3/7 हिस्सा भूमि पर काबिज है व खाता संख्या 801/482 की कुल 6.6180 हैक्ट भूमि मे से प0न0 309/410(203) के किला न0 1/2 की 0.1230 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.089 हैक्ट भूमि व किला न0 2/2 की 0.1240 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.090 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दे व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 अपने नाम यथावत रख ले व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट भूमि में से प0न0 306/402 (53) के किला न0 19/[illegible] की 0.1019 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट व 20/1 की 0.1090 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट भूमि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संख्या 3 के नाम दर्ज करवा दे व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 अपने नाम यथावत रख ले तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की तरफ से श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा 6 बारानी खाता संख्या 799/482, खाता संख्या 801/482 आदि दस्तावेज पेश किये जो कि शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 802/479 की कुल 3.7570 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 801/482 की 6.6180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 802/479 की 3.7570 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 3/7–3/7 हिस्सा भूमि पर काबिज है व खाता संख्या 801/482 की कुल 6.6180 हैक्ट भूमि में से प0न0 110(203) के किला न0 1/2 की 0.1230 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.090 हैक्ट भूमि व किला न0 2/2 की 0.1240 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.090 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दे व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 अपने नाम यथावत रख ले व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि में से प0न0 306/402 (53) के किला न0 19/1 की 0.1019 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट व 20/1 की 0.1090 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज करवा दे व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 अपने नाम यथावत रखी जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 802/479 की कुल 3.7570 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 801/482 की 6.6180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 802/479 की 3.7570 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 3/7–3/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाताा है व खाता संख्या 801/482 की कुल 6.6180 हैक्ट भूमि मे से प0न0 309/410(203) के किला न0 1/2 की 0.1230 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.089 हैक्ट भूमि व किला न0 2/2 की 0.1240 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.090 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम यथावत रहेगी व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट भूमि में से प0न0 306/402 (53) के किला न0 19/1 की 0.1090 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट व 20/1 की 0.1090 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 850/2022

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मोहनी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. लादुराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्र पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. विजेन्द्र प्रसाद पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 850 सन 2022 निर्णय दिनांक – 04/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण कुमार एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 802/479 की 3.7570 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 3/7–3/7 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाताा है व खाता संख्या 801/482 की कुल 6.6180 हैक्ट भूमि मे से प0न0 309/410(203) के किला न0 1/2 की 0.1230 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.089 हैक्ट भूमि व किला न0 2/2 की 0.1240 हैक्ट भूमि में से मिन दक्षिण की 0.090 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम यथावत रहेगी व खाता संख्या 799/482 की कुल 6.5430 हैक्ट भूमि में से प0न0 306/402 (53) के किला न0 19/1 की 0.1090 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट व 20/1 की 0.1090 हैक्ट भूमि में से मिन उत्तर की 0.044 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:03 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर